

न्यूज़ टुडे

CDSCO ने 35 फिक्सड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगाया

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 अस्वीकृत FDC दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को रोकने का निर्देश दिया है। ध्यातव्य है कि CDSCO भारत में औषधियों, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए शीर्ष विनियामकीय संस्था है।

➤ यह निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि कई FDC दवाएं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नई औषधि एवं नैदानिक परीक्षण (NDCT) नियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही थीं।

फिक्सड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के बारे में

➤ दो या दो से अधिक सक्रिय औषध सामग्रियों (APIs) को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई एकल खुराक वाली दवा को फिक्सड डोज़ कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कभी-कभी इन्हें 'कॉकटेल ड्रग्स' भी कहा जाता है।

⊕ API वास्तव में किसी निर्मित दवा (टेबलेट, कैप्सूल, क्रीम इंजेक्टेबल आदि) का जैविक रूप से सक्रिय घटक है, जो बीमारी के इलाज में वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है।

➤ FDCs को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

➤ किसी FDC को NDCT नियम, 2019 के तहत तब नई औषधि माना जाता है, जब यह निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करते हैं:

⊕ यह मरीजों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए पहले से स्वीकृत दो या अधिक दवाओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई है; तथा

⊕ यह अपने दावों में बदलाव करने के साथ-साथ पहले से स्वीकृत FDC में दवाओं के अनुपात को बदल देती है।

FDC दवाओं को क्यों प्राथमिकता दी जाती है?

➤ बेहतर चिकित्सीय परिणाम: संयुक्त दवाओं के बीच बेहतर सहक्रियात्मक प्रभाव (जब तर्कसंगत रूप से चुना गया हो) देखने को मिलता है।

➤ रोगी व्यक्ति द्वारा चिकित्सीय निर्देशों का बेहतर ढंग से अनुपालन: कई दवाओं को एक ही टेबलेट या कैप्सूल में मिलाने से गोलियों का बोझ कम किया जा सकता है।

➤ उपचार की लागत में कमी: कई अलग-अलग दवाओं को खरीदने की तुलना में संयुक्त उत्पाद उपचार की लागत को कम करते हैं।



संसदीय स्थायी समिति ने लोक सभा में मनरेगा के संबंध में रिपोर्ट पेश की

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देती है, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है।

समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे

➤ लंबित मामलों की अधिक संख्या: मजदूरी और सामग्री दोनों घटकों की कुल लंबित देनदारियां 23,446.27 करोड़ रुपये हैं। यह मौजूदा बजट का 27.26% है।

➤ जॉब कार्डों को अमान्य घोषित करना: 2021-22 में मामूली वर्तनी त्रुटियों या आधार बेमेल होने के कारण लगभग 50.31 लाख जॉब कार्ड हटा दिए गए।

➤ मजदूरी संबंधी मुद्दे: मनरेगा की मजदूरी मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है, और यह निर्वाह स्तर से भी नीचे गिर गई है।

➤ सामाजिक लेखा परीक्षा में अनियमितताएं: 2024-25 में लगभग 67% नियोजित ग्राम पंचायतों का लेखा-परीक्षण किया गया।

समिति द्वारा की गई सिफारिशें

➤ सर्वेक्षण: कार्यक्रम की कमियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे देश में स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

➤ मुआवजे में वृद्धि: श्रमिकों के लिए समय पर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने हेतु विलंबित मजदूरी के लिए वर्तमान मुआवजा दर को बढ़ाया जाना चाहिए।

⊕ ज्ञातव्य है कि श्रमिक मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन से अधिक विलंब की अवधि के लिए प्रतिदिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05% की दर से विलंब मुआवजा पाने के हकदार हैं।

➤ आधार का कार्यान्वयन: आधार-आधारित भुगतान प्रणाली वैकल्पिक बनी रह सकती है तथा वैकल्पिक भुगतान तंत्र भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

➤ सामाजिक लेखा-परीक्षा को मजबूत बनाना: नियमित रूप से लेखा-परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा कैलेंडर शुरू किया जाना चाहिए।

मनरेगा के तहत शुरू की गई नई पहलें

➤ आजीविका संबंधी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना: बागवानी वृक्षारोपण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ वृक्षारोपण कार्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया गया है।

➤ युक्तधारा पोर्टल (Yuktdhara Portal): यह रिमोट सेंसिंग/अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और GIS आधारित सूचना का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल को ISRO-राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है।

➤ NRLM-अनुपालक क्लस्टर लेवल फेडरेशन: नर्सरी, वृक्षारोपण और अन्य व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में NRLM-अनुपालक क्लस्टर लेवल फेडरेशन को शामिल करके व्यक्तिगत लाभार्थी आजीविका में सुधार करना।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुसार “भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) केवल व्यापार मार्ग नहीं, बल्कि एक आधुनिक सिल्क रूट भी है”

केंद्रीय मंत्री के अनुसार IMEC से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- लॉजिस्टिक्स लागत में 30% तक की कमी आएगी,
- परिवहन में 40% कम समय लगेगा, और
- यह महाद्वीपों के बीच बिना बाधा के व्यापार संबंध स्थापित करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने IMEC परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं:

- उद्योग जगत, थिंक टैंक, अकादमिक जगत जैसे सभी हितधारकों की साझेदारी और सक्रिय भागीदारी।
- नवोन्मेषी वित्त-पोषण मॉडल- जैसे कि लंबी अवधि में मैच्योर होने वाले IMEC बॉण्ड जारी करना आदि।

सिल्क रूट के बारे में

- सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। इसका उपयोग दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं-15वीं सदी तक किया गया था।
- यह एशिया से यूरोप तक जाता था।

IMEC के बारे में

- यह एक मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है।
- इसे 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। इसके भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका हितधारक हैं।
- उद्देश्य: भारत, अरब प्रायद्वीप, भूमध्यसागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, रेलवे, सड़क, समुद्री मार्ग एवं पाइपलाइन से संबंधित अवसरचनाओं का विकास करना।

IMEC का रणनीतिक महत्व

- भू-रणनीतिक: यह स्वेज नहर जैसे व्यस्त समुद्री मार्गों का विकल्प प्रदान करके निरंतर व्यापार को बढ़ावा देगा।
- भू-आर्थिक: यह भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण की सभी संभावनाओं की खोज एवं उनका दोहन करेगा।
- अन्य महत्व: यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के प्रत्युत्तर में एक विकल्प प्रस्तुत करता है।



न्यायमूर्ति बी. आर. गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में अनुशंसित किया गया

भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का नाम भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त हेतु केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को अनुशंसित किया है।

- ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने की स्थापित परंपरा रही है।
- सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री यह अनुशंसा प्रधान मंत्री को भेजता है। फिर प्रधान मंत्री नामित व्यक्ति को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सलाह राष्ट्रपति को देता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- यदि वरिष्ठतम न्यायाधीश के भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा देने की उपयुक्तता को लेकर कोई संदेह हो, तो अनुच्छेद 124(2) के अनुसार अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया ‘सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मेमोरेण्डम ऑफ प्रोसीजर (MoP)’ पर आधारित है।

यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया



यूनाइटेड किंगडम

- यूनाइटेड किंगडम में सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का चयन **संविधान सुधार अधिनियम 2005** में वर्णित वैधानिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से होता है।
- संसद द्वारा निर्धारित नियमों के तहत **लॉर्ड चांसलर** द्वारा गठित एक **स्वतंत्र चयन आयोग** उम्मीदवारों का मूल्यांकन करता है।
- अपने चयन के बाद, लॉर्ड चांसलर वरिष्ठ न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों से परामर्श करता है तथा फिर नाम की अनुशंसा प्रधान मंत्री को भेजता है।
- प्रधान मंत्री इस अनुशंसा को **सम्राट के पास औपचारिक नियुक्ति के लिए** भेजता है।



संयुक्त राज्य अमेरिका

- संघीय सरकार की **कार्यपालिका और विधायिका**, सुप्रीम कोर्ट की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **अमेरिकी राष्ट्रपति** आमतौर पर सलाहकारों से परामर्श के बाद **मुख्य न्यायाधीश को नामित** करता है।
- इस नाम की **पुष्टि सीनेट** द्वारा साधारण बहुमत से होती है।

चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर हो गया

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं (जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, सोलर सेल्स आदि) और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में तेजी से हुई बढ़ोतरी है।

इस दौरान भारत का चीन को निर्यात घटकर 14.3 बिलियन डॉलर रह गया है।

चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे और चीन पर बढ़ती आयात निर्भरता से जुड़ी प्रमुख चिंताएं

- घरेलू विनिर्माण के लिए खतरा: चीनी वस्तुएं अक्सर कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर भारत में आती हैं। इससे भारतीय घरेलू उद्योगों विशेषकर इस्पात, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों को नुकसान होता है।
- रणनीतिक निर्भरता संबंधी चिंताएं: बढ़ता व्यापार घाटा चीनी वस्तुओं पर संरचनात्मक निर्भरता को दर्शाता है। इससे आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो सकती है।
 - इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है।
 - उदाहरण के लिए, सीमा विवाद या किसी आपात स्थिति में चीन इस निर्भरता का लाभ उठा सकता है।
- अमेरिकी व्यापार नियमों की उपेक्षा करने का जोखिम: चीन छद्म रूप से भारत के जरिए अपने उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका भेज सकता है। इससे भारत-अमेरिका संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
- बाजार का व्यपवर्तन (Diversion) और डंपिंग का खतरा: चीनी निर्माता अमेरिकी टैरिफ के कारण अपनी वस्तुओं का कम कीमत पर भारत में निर्यात (डंपिंग) कर सकते हैं। इससे भारत के उद्योगों को नुकसान हो सकता है।
- अन्य: विदेशी मुद्रा का निरंतर बहिर्वाह, आदि।

बढ़ते व्यापार घाटे/ आयात निर्भरता को कम करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें

- घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना: इसके लिए सरकार की PLI (उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन) योजना और मेक इन इंडिया जैसी पहलें चल रही हैं।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए स्थानीयकृत आपूर्ति श्रृंखला: उदाहरण के लिए- चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत बल्क ड्रग पार्क्स स्थापित कर रहा है।
- निर्यात प्रोत्साहन: राज्य और केंद्रीय करों व लेवी में छूट (RoSCTL) योजना, ब्याज समकरण योजना (IES) आदि निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाती हैं।
- अन्य: बाजार पहुंच पहल (MAI) योजना, व्यापार उपायों और सुरक्षा उपायों (जैसे एंटी-डंपिंग शुल्क) का उपयोग करना आदि।

तमिलनाडु ने केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए समिति गठित की

इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ करेंगे। समिति भारतीय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाएगी।

ऐतिहासिक समिति- राजमन्नार समिति (1969)

- उद्देश्य: संविधान की समीक्षा करना तथा विधायी, कार्यकारी और न्यायिक क्षेत्रों में राज्यों की अधिकतम स्वायत्तता की सिफारिश करना।
- मुख्य सिफारिशें:
 - समिति ने संविधान के अनुच्छेद 365 की आलोचना की तथा इसे अनुचित केंद्रीय अतिक्रमण के लिए एक उपकरण बताया। समिति ने अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) को संविधान से हटाने की सिफारिश भी की थी।
 - अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद को अधिक सशक्त बनाने का सुझाव दिया था।
 - वित्त आयोग की कमजोर भूमिका पर चिंता जताई थी।

केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित अन्य समितियां

सरकारिया आयोग (1983)

- मुख्य सिफारिशें
 - इसने देश की एकता और अखंडता के लिए अखिल भारतीय सेवाओं को बनाए रखने की सिफारिश की थी। साथ ही, इसने नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की भी सिफारिश की थी।
 - राष्ट्रपति शासन का अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।
 - राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।
 - आयोग ने सुझाव दिया था कि लि-भाषा फार्मूले को सभी राज्यों में इसकी वास्तविक भावना के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।

पुंछी आयोग (2007)

- मुख्य सिफारिशें
 - अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग के समान राज्यपाल के लिए भी एक औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया लागू करने का सुझाव दिया।
 - समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते समय केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श करना चाहिए।
 - आयोग ने अनुच्छेद 356 का अधिक इस्तेमाल नहीं करने और इसके दुरुपयोग को कम करने की सिफारिश की थी।

अन्य सुर्खियां



वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी-2025 रिपोर्ट

यह रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वर्तमान परिस्थितियों में, वर्ष 2025 में विश्व पण्य व्यापार (Merchandise Trade) की मात्रा में 0.2% की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है।
 - यह गिरावट विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में अधिक दर्ज की जाएगी। इस क्षेत्र से निर्यात में 12.6% की गिरावट होने का अनुमान है।
- रिपोर्ट में विश्व व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कई गंभीर खतरों का उल्लेख किया गया है। इनमें रेंसिप्रोकल टैरिफ का प्रयोग और नीतिगत अनिश्चितता के प्रभाव शामिल हैं।
- इस रिपोर्ट में पहली बार पण्य (वस्तु) व्यापार अनुमान के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार के लिए भी पूर्वानुमान शामिल किया गया है।
 - सेवाओं के व्यापार की मात्रा में 2025 में 4.0% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।



राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा/ NADA)

नाडा इंडिया ने 'एक साथ मिलकर स्वच्छ खेल इकोसिस्टम का निर्माण' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

नाडा/ NADA के बारे में

- मंत्रालय: यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
- उद्देश्य: भारत में डोप-मुक्त खेल परिवेश बनाना और खेलों में निष्पक्षता को बढ़ावा देना।
- नाडा भारत में वर्ल्ड एंटी-डोपिंग कोड 2021 के अनुसार एंटी-डोपिंग कार्यक्रम लागू करता है।
- मुख्य कार्य-क्षेत्र:
 - नमूना संग्रहण (SC),
 - परिणाम प्रबंधन (RM),
 - डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता,
 - अनुसंधान और खुफिया जानकारी एवं जांच (I&D) आदि।



गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)

भारत सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1.3 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का बीमा किया गया।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के बारे में

- इसे 2016 में लॉन्च किया गया था।
- यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की सरकारी खरीद हेतु एक पोर्टल है।
- संचालक मंत्रालय: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- GeM के प्रमुख लाभ: यह खुले और पारदर्शी खरीद प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है।



विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

भारतीय नौसेना ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की स्थापना और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 'मेघयान-25' संगोष्ठी का आयोजन किया।

WMO के बारे में

- स्थापना: WMO की स्थापना 23 मार्च, 1950 को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी।
- सदस्य: भारत सहित 193 सदस्य देश और क्षेत्र।
- कार्य: मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और संबंधित पर्यावरणीय सेवाओं को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु प्रेमवर्क प्रदान करना। इससे सभी का कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा।
- WMO द्वारा जारी रिपोर्ट्स: "विश्व जलवायु की स्थिति रिपोर्ट" (State of the Global Climate Report)।
- मुख्यालय: जिनेवा (स्विट्जरलैंड)।



उर्दू भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में उर्दू भाषा में साइन बोर्ड को बरकरार रखा।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती, वह किसी समुदाय, क्षेत्र और लोगों से जुड़ी होती है।

उर्दू भाषा के बारे में

- यह एक इंडो-आर्यन भाषा है।
- भाषा-विज्ञानी मानते हैं कि मानक उर्दू और मानक हिंदी, दोनों ही खड़ी बोली (हिंदुस्तानी) की अलग-अलग औपचारिक शैलियां हैं।
- इसकी उत्पत्ति और विकास भारतीय उपमहाद्वीप में हुई/ हुआ।
- यह संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है।



कैलाश मानसरोवर

भारत और चीन 2019 से प्रतिबंधित कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

कैलाश मानसरोवर के बारे में

- यह तीर्थयात्रा तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में स्थित पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में संपन्न होती है।
- इसमें कैलाश पर्वत (कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी) और मानसरोवर झील (दुनिया की सबसे ऊँची मीठे पानी की झील) शामिल हैं।
- धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व: यह यात्रा हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है।
- यह यात्रा दो अलग-अलग मार्गों - लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम) से होकर की जाती है।



क्लिनडिपम लालिटे

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने क्लिनडिपम लालिटे नामक बीटल की एक नई प्रजाति की पहचान की है।

नई प्रजाति के बारे में

- नई खोजी गई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के ताले घाटी वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई थी।
- यह राइसोडिना उप-कुल से संबंधित है।
- इसकी विशिष्ट आकृति विज्ञान इसकी विशेषता है और यह जंगल के तल पर रहने वाले ग्राउंड बीटल के एक दुर्लभ समूह से संबंधित है।
- ये बीटल पोषक चक्रण और मिट्टी के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं।



नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM)

केंद्रीय खान मंत्रालय ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के तहत उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence - CoE) की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के बारे में

- शुरुआत: जनवरी 2025 में।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय खान मंत्रालय।
- उद्देश्य:
 - भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। मिशन के तहत देश और विदेश, दोनों जगहों से इन खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
 - क्रिटिकल मिनरल से जुड़ी मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) को मजबूत बनाया जाएगा।
 - इसके लिए तकनीकी, विनियामक और वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत करके खनिजों की खोज, खनन, उपयोगी बनाने, प्रोसेसिंग एवं रीसाइक्लिंग में नवाचार, कौशल विकास तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा।



वेट-बल्ब तापमान

हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने वेट-बल्ब तापमान की सर्वाधिक सीमा पर सवाल उठाए हैं। उनका सुझाव है कि अधिकतम वेट-बल्ब तापमान सीमा 31°C हो सकती है, जबकि इसे 35°C माना जाता है। वेट-बल्ब तापमान के माध्यम से चरम ताप के प्रति मानव अनुकूलता की सीमा का मापन किया जाता है।

वेट-बल्ब तापमान के बारे में

- यह मौसम विज्ञान संबंधी शब्दावली है। इसका उपयोग उस न्यूनतम तापमान का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे स्थिर दबाव पर हवा में जल को वाष्पित करके प्राप्त किया जा सकता है।
- इसे थर्मामीटर बल्ब को गोले कपड़े से ढककर और पानी को वाष्पित होने देकर मापा जाता है।
- यह तापमान आर्द्रता को मापने में मदद करता है और यह समझने में मदद करता है कि हवा में कितना पानी वाष्पित हो सकता है, जिससे आराम, खेती और मौसम के पैटर्न आदि प्रभावित होते हैं।



टूती द्वीप (Tuti Island)

टूती द्वीप दो वर्षों से सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल 'रैपिड सपोर्ट फोर्स' (RSF) के बीच चल रहे युद्ध से नष्ट हो चुका है।

टूती द्वीप के बारे में

- यह सूडान की राजधानी खार्तूम में ब्लू और व्हाइट नील नदियों के संगम पर स्थित है।
 - यह एक ऐतिहासिक ओएसिस (नखलिस्तान) है और शहर की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है।
- यह एक अर्धचंद्राकार द्वीप है। इस द्वीप का निर्माण सिल्ट (तलछट) के जमाव से हुआ है।

